

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जुलाई, 2016

संख्या एम0आई0एस0सी0-138ए/एस0डी0(बी0एस0)/2016/13167

— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायेंगे, पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 के भाग-7 (भवन नियम) को नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“भाग-7**भवन नियम**

38-125. नियन्त्रित क्षेत्र में भवन गतिविधियां नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 30 जून, 2016 को डाली गई तथा समय-समय पर यथा संशोधित 'हरियाणा भवन संहिता, 2016' द्वारा शासित की जायेंगी।”।

पी0 राघवेन्द्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 1st July, 2016

No. Misc-138A/SD(BS)/2016/13167.— The following draft of the rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), is hereby published as required by Sub-section (1) of the said Section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette, together with the objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh, from any person in respect of the draft rules before the expiry of the period so specified : —

Draft**Rules**

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2016.
2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, Part-VII (Building Rules) is substituted as under:

“PART-VII**Building Rules**

38-125. The building activities in the controlled area shall be governed by ‘The Haryana Building Code, 2016’ as hosted on the website of the Town & Country Planning Department on 30th June, 2016 and as amended from time to time.”.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department, Chandigarh.